बिल का सारांश

नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016

- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016 को पेश किया। यह बिल नागरिकता एक्ट, 1955 में संशोधन करता है।
- नागरिकता एक्ट, 1955 उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करता है जिसके आधार पर नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण (नैचुरलाइजेशन) और भारत में किसी परिक्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता मिलने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, यह एक्ट ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर (ओसीआई) (भारतीय कार्डधारकों वाले विदेशी नागरिकों) के पंजीकरण और उनके अधिकारों को रेगुलेट करता है। भारत के विदेशी नागरिक मल्टीपल-इंट्री, भारत में आने के लिए मल्टी-पर्पज लाइफ लांग वीजा जैसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।
- अवैध प्रवासियों की परिभाषा : एक्ट अवैध प्रवासियों द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल करने को प्रतिबंधित करता है। यह कहता है कि अवैध प्रवासी वह विदेशी है जोकि (i) वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है, या (ii) अनुमत समय (परमिटेड टाइम) के बाद भी भारत में रुका रहता है।
- बिल एक्ट में संशोधन करता है और कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति समूहों के साथ अवैध प्रवासी के समान व्यवहार नहीं किया जाएगाः (i) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, (ii) जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920 और विदेशी एक्ट, 1946 के प्रावधानों से छूट दी गई है। 1920 के एक्ट में विदेशियों के पास पासपोर्ट होने का निर्देश दिया गया है जबकि 1946 का एक्ट भारत में विदेशियों के प्रवेश और वापसी को रेगुलेट करता है।
- देशीयकरण (नैचुरलाइजेशन) द्वारा नागरिकता : एक्ट कुछ शर्तों (क्वालिफिकेशन) को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति को देशीयकरण (नैचुरलाइजेशन) द्वारा नागरिकता का आवेदन करने की अनुमति देता है। इनमें से एक शर्त यह है कि वह व्यक्ति नागरिकता का आवेदन करने से पहले कम से कम 11 वर्ष से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा हो।
- बिल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के लिए इस शर्त में अपवाद प्रस्तुत करता है। इस समूह के लोगों के लिए 11 वर्ष की अवधि को घटाकर छह वर्ष कर दिया जाएगा।
- ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करना : एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) अगर ओसीआई ने धोखाधड़ी से पंजीकरण कराया है, या (ii) पंजीकरण से पांच वर्ष के बीच में, उसे दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, या (iii) यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित के लिए आवश्यक हो, इत्यादि। बिल पंजीकरण को रद्द करने का एक और आधार प्रदान करता है। वह यह कि अगर ओसीआई ने देश में लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो।

अन्विति चतुर्वेदी
anviti@prsindia.org

25 जुलाई, 2016

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस" की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुतविचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अन्विति चतुर्वेदी
anviti@prsindia.org

25 जुलाई, 2016